भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2763
सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

फिल्म-पर्यटन को बढ़ावा देना

†2763. श्री एस.सी. उदासी:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री देवजी पटेल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास फिल्म-पर्यटन के माध्यम से 'अतुल्य भारत' को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्थागत ढांचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फिल्म-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म-निर्माण क्षेत्र में कार्य की सरलता सुनिश्चित करने और मौजूदा स्ट्रूडियोज़ के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : फिल्म पर्यटन सहित पर्यटन का संवर्धन और विकास मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है ।

तथापि पर्यटन मंत्रालय समग्र रूप से भारत का संवर्धन करता है । चल रहे अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में यह देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड लाइन के तहत महत्वपूर्ण और संभावित विदेशी बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है ।

पर्यटन मंत्रालय ने फिल्म पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है । इस कार्यनीति में निम्नलिखित कार्यनीतिक स्तंभों को चिह्नित किया गया है:-

(i) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समन्वयन
(ii) देश और गंतव्य की ब्रांडिंग
(iii) गंतव्य अवसंरचना विकास
(iv) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण
(v) वित्तीय प्रोत्साहन
(vi) पोस्ट फिल्म ट्रैवल तथा टूरिज्म आउटरीच
(vii) संस्थागत संरचना और शासन तंत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने के मद्देनजर फिल्म फेसिलेटेशन ऑफिस (एफएफओ) की स्थापना की है । एफएफओ विदेशी तथा घरेलू फिल्म निर्माताओं को फिल्मांकन हेतु अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने में सहायता देकर भारत में फिल्मांकन को सुगम बनाने के लिए एकल स्थानी सहायता केंद्र के रूप में कार्य करता है । एफएफओ की वेबसाइट फिल्मांकन संबंधी अनुमतियों, शूटिंग लोकेशन्स और भारत में फिल्मांकन से संबंधित संसाधनों तथा पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं के एकल स्थानी कोष के रूप में कार्य करती है ।

इसके अतिरिक्त एक पसंदीदा फिल्मांकन गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2022 से निम्नलिखित योजनाओं की शुरूआत की है:-

(i)भारत में विदेशी फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोत्साहन योजना ।
(ii)विदेशों के साथ फिल्मों के आधिकारिक श्रव्य-दृष्य सहनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना।

*****